भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2944

उत्तर देने की तारीख : 08.08.2024

सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान

2944. श्री नवसकनी के. :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)देश के समग्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान कितना है;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा दर्ज की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में सुधार लाने के लिए केंद्र द्वारा वित्तपोषित कोई योजना उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु में एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमियों की कुल संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) आगामी तीन वर्षों के दौरान निर्धारित विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमराज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (ख)सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई के सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) की हिस्सेदारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई के सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)
2020-21	27.3
2021-22	29.6
2022-23	30.1

(ग) और (ङ) उद्यमों का संवर्धन एवं विकास राज्य का विषय है।सरकार **तमिलनाडु सहित,** पूरे देश में एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रोंमें एमएसएमई की स्थापना में मदद करती है।इन स्कीमों/कार्यक्रमों में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस), एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में वृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम, टूल रूम, प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच), एमएसएमई चैम्पियंस, पीएम विश्वकर्मा आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करने हेतु कई पहलें की हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

i. क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के जरिए ऋण की विभिन्न श्रेणियों हेतु 85 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को 500 लाख रुपए तक की सीमा का कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान करना (दिनांक 01.04.2023 से लागू)।

ii. आत्मनिर्भर भारत कोष के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन। इस स्कीम में भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस का प्रावधान है।

iii. एमएसएमई क्षेत्र के दायरे का विस्तार करने के साथ निवेश और कारोबार के आधार पर उच्चतर सीमा के साथ एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।

iv. व्यवसाय की सुगमता के लिए ''उद्यम पंजीकरण पोर्टल'' के जरिए एमएसएमई का नए सिरे से पंजीकरण।

v. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।

vi. दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।

vii. एमएसएमई के स्तर में किसी प्रकार के उन्नयन की स्थिति में 3 वर्ष के लिए गैर-कर लाभ प्रदान करना।

viii. अगले 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में वृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प) कार्यक्रम की शुरुआत।

ix. श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (एनसीएस) के साथ उद्यम पोर्टल का समावेशन,इसके परिणामस्वरूप पंजीकृत एमएसएमई को एनसीएस पर रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को तलाश करने में सक्षम बनाया जा सके।

x. विवाद से विश्वास-I के अंतर्गत एमएसएमई को काटी गई कार्यनिष्पादन सिक्युरिटी, बोली संबंधी सिक्युरिटी तथा लिक्विडेटेड नुकसान के 95 प्रतिशत वापसी के जरिए राहत प्रदान की गई थी। अनुबंधों की अनुपालना में चूक के कारण प्रतिबंधित कर दिए गए एमएसएमई को भी राहत प्रदान की गई है।

xi. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण (पीएसएल) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई है।

xii. 18 व्यापारों में कार्यरत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक समग्र लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम की शुरुआत की गई।
